^ सुपर बाजार की विभिन्न निधियों में जमा धनराशि

1943. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला**: क्या नागरिक आपूर्ति,उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 31 मार्च,1995 की स्थिति के अनुसार सुपर बाजार सहकारी समिति के संचित अवमूल्यन कोष, आरक्षित निधि,राजस्व आरक्षित निधि,विकास निधि, मुआवजा,सुरक्षा और उपभोक्ता सुविधा सम्बन्धी निधि तथा सुपर बाजार पूंजी कोष में कुल कितनी धनराशि जमा हैं,

(ख) सुपर बाजार के वार्षिक लेखाओं में कुल आरक्षित निधियों को नहीं दर्शाये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) सुपर बाजार कीपरिसम्पत्तियों के अवमूल्यन की वसूली किस आधार पर की जा रही हैं,और

(घ) सुपर बाजार के वार्षिक लेखे तैयार करने के लिये लेखाकरण की यदि कोई विधि अपनाई जाती हो तो वह कौन सी विधि हैं ?

नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क7 सुपर बाजार,नई दिल्ली के लेखापरीक्षित लेखओं के अनुसार 31.3.94 की स्थिति के अनुसार विभिन्न आरक्षित निधियों का ब्यौरा निम्नवत हैः-

क्रम सं.	ब्यौरा	में)
1.	सांविधिक आरक्षित निधि	
2.	बिक्री कमियों के प्रति आरक्षित राशि	
3.	फर्मो के प्रति आरक्षित राशि	
4.	शेयरों के जब्ती के प्रति आरक्षित रा	
5.	पूंजीगत आरक्षित राशि	

(ख) सुपर बाजार की विभिन्न आरक्षित राशियां तथा निधियां उनके वार्षिक लेखाओं में दर्शाई जाती हैं।

(ग) स्थिर परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान ह्रासन मूल्य प्रणाली के तहत परिसम्पत्तियों के लाभकर जीवन के आधार पर निर्णीत दरों पर किया गया हैं।

(घ) सुपर बाजार वार्षिक लेखाओं को तैयार करने के लिए लेखा की दोहरी प्रविष्टि पद्वति का अनुसरण कर रहा हैं।

Transportation problem in Rice Export

1944. SHRI MOHAN BABU: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government are facing problems in transporting rice from FCI godowns to ports for export presently;

(b) whether it is a fact that FCI had not made any strategy for food exports;

(c) how Government propose to ensure that Food Corporation of India Formulates proper contingency plans for exports of rice in future;

(d) whether FCI will consult State Governments like Andhra Pradesh to coordinate such rice exports: and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) Food Corporation of India has not undertaken any direct export of rice this year on commercial basis. FCI, however, releases rice to the exporters both in Public as well as in Private Sector.

Though the present demand for rakes for export is high, the availability of the same is limited. This has necessitated a phased programme of movement for foodgrains export purposes.

(b) and (c) Exports of foodgrains depends on many factors like demand of importing countries, quality specifications required and international prices etc. FCI has already sold about 7.00 lakh tonnes of rice for the purpose of export, as on 31.7.95. No sale of wheat for purposes of export has been affected so far. as prices of our wheat have not been competitive in the international market. However, of late, the price of wheat in the international market has firmed up and consequently, FCI has started receiving requests for purchase of wheal for export.

(d) Due care is undertaken while planning releases of rice for the purpose of export and while doing so it is ensure that enough rice is available in the State itself to meet their requirements of Public Distribution System.

(e) Does not arise.